न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 62/20 ता0 रजु. 6-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 20-2-2020

सरकार

बनाम

शंकर पुत्र गोरधन सिंह गुजर तरसुम तह0 बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का तरसुम ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम कुटवार के खसरा न0 662,665,666 रकवा 0-40 हैक्ट में से रकवा 0.08 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री शंकर पुत्र गोरधन सिंह गुर्जर तरसुम तह0 बयाना ने पत्थर पक्का कमरा कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 662,665,666 रकवा 0.08 हैक्ट वाके ग्राम कुटवार से बेदखल किया जाता है। लगान 1.28 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 64/= रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक को आंदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:49:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

इस व्यवस्था का मास सामग्री
क्र. सं. 36
दिनांक 24/4/20 का वर्ष 2019-20
पेनल्टी रु. 64/- जमा करा दी
(सही)
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना